प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ,बिलासपुर

विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 557/2019

1. राजेंद्र प्रसाद मिश्रा पिता वासुदेव प्रसाद 74 वर्ष

2.श्रीमती मेम्बई मिश्रा पति राजेंद्र प्रसाद, 55 वर्ष

3.कु. सीता मिश्रा पिता राजेंद्र प्रसाद, उम्र लगभग 18 वर्ष,

सभी ग्राम पलाडीकला, पुलिस थाना बाराद्वार, जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के निवासी है।

--- अपीलार्थी/दावाकर्ता

बनाम

1.परवेज अख्तर पिता ए.के.खान निवासी ग्राम बरौद, थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़।(मालिक)

2. अनिल सिंह पिता बिसम्भर सिंह 29 वर्ष निवासी संतोषी माँ गली, डिमरापुर, चौक रायगढ़, तहसील तथा जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़(चालक)

3. बजाज एलिंस इंश्योरेंस कंपनी प्रा. लिमिटेड. शिवमोहन भवन, विधान सभा रोड, पंडरी, रायपुर, तहसील तथा जिला रायपुर छत्तीसगढ़।(बीमाकर्ता)

--उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थियों हेतु :श्री प्रवेश साहू, अधिवक्ता तथा श्री पी. आर. पाटनकर अधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 3 हेतु : श्री प्रशांत साहू, अधिवक्ता ,श्री संगीत कुमार कुशवाहा अधिवक्ता

माननीय श्री पार्थ प्रतिम साहू,न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

01/07/2025

1. अपीलकर्ताओं– दावाकर्ता ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "1988 का अधिनियम") की धारा 173 के तहत यह अपील दायर की है, जिसमें क्षतिपूर्ति की राशि में वृद्धि की मांग की गई है, जिसमें विद्वान प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ (संक्षेप में "दावा अधिकरण") द्वारा दावा प्रकरण संख्या 37/2009 में पारित दिनांक 19.11.2018 के निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके तहत

विद्वान दावा अधिकरण ने अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत दायर आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया और एक मृत्यु के मामले में क्षतिपूर्ति के रूप में कुल ₹ 3,09,998/– की राशि प्रदान की।

2. इस अपील के निराकरण के लिए सुसंगत मामले के तथ्य यह हैं कि दिनांक 14.02.2009 को राजू मिश्रा मोटरसाइकिल से रात लगभग 10:00 बजे ग्राम रिस्दा से अपनी दुकान पर लौट रहे थे। जब वे एनएच–200 पर ग्राम मुक्ताराजा के नए बस स्टैंड के पास पहुंचे, तो एक ट्रक संख्या CG04-G–4291 (इसके बाद से "अपराधी ट्रक") को उसके चालक–अनावेदक संख्या 2 ने बिना किसी चेतावनी संकेत या वाहन के संकेतक चालू किए लापरवाही से सड़क पर खड़ा कर दिया, जिसके कारण राजू मिश्रा की मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा गई और दुर्घटना हो गई।उक्त दुर्घटना में राजू मिश्रा को शरीर पर कई गंभीर चोटें आईं।उन्हें बाराद्वार अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उन्हें जिला अस्पताल, जांजगीर–चांपा और फिर सिम्स, बिलासपुर रेफर कर दिया गया।उनकी स्थिति में सुधार न होने पर उन्हें निजी नर्सिंग होम, विमला देवी चिकित्सालय, बिलासपुर में भर्ती कराया गया।तीन महीने तक नियमित उपचार के बाद, 28.05.2019 को उनकी मृत्यु हो गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलकर्ता–दावेदार, जो मृतक राजू मिश्रा के माता–पिता और बहन हैं, ने अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत ₹7,80,000/– के क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया, जिसमें तर्क दिया गया कि दुर्घटना की तिथि पर मृतक लगभग 20 वर्ष का एक युवा लड़का था, और एक स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति था।दुर्घटना से पहले वह कपड़े की दुकान चलाता था और ₹6,000/– प्रति माह कमा रहा था।

4. उत्तरवादी संख्या 1 और 2 / अनावेदक संख्या 1 और 2 – आक्षेपित ट्रक के मालिक और चालक नोटिस की तामील के बाद भी दावा न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

5. उत्तरवादी संख्या 3/ अनावेदक संख्या 3/ बीमा कंपनी ने दावा आवेदन पर अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें आवेदन में की गई सभी प्रतिकूल तर्क को नकारते हुए आगे तर्क दिया गया कि कथित दुर्घटना मृतक की स्वयं की लापरवाही के कारण हुई, मृतक की मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से टकरा गई। दुर्घटना की तिथि पर मृतक के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए चलाया जा रहा था क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के चालक के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।

6. विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्क और साक्ष्य की सराहना करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि मृतक राजू मिश्रा की मृत्यु बस स्टैंड मुक्ताराजा के सामने सड़क पर अनावेदक संख्या 1 द्वारा लापरवाही से पार्किंग किए जाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से टकराने से हुई दुर्घटना में उसे लगी गंभीर चोटों के कारण हुई।बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन सिद्ध नहीं पाया गया, सहभागी लापरवाही सिद्ध पाई गई, क्षतिपूर्ति की राशि की गणना की गई और दावा आवेदन दाखिल करने की तिथि से 8% प्रति

वर्ष की दर से ब्याज सहित कुल क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ 3,09,998/– का आदेश दिया गया और अनावेदक संख्या 3/बीमा कंपनी पर देयता निर्धारित की गई।

7. अपीलकर्ताओं–दावाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते है कि दावा न्यायाधिकरण ने केवल दाण्डिक मामले के दस्तावेजों पर भरोसा करके मृतक को दुर्घटना में 50% सहभागी लापरवाह मानने में त्रुटि की है। न्यायाधिकरण ने दाण्डिक मामले में दर्ज दस्तावेजों और बयान को अधिक महत्व दिया है, न कि दाण्डिक मामले में साक्षीयों के साक्ष्य को।उन्होंने आगे तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने भविष्य की संभावनाओं की हानि के मद के तहत मुआवजे की राशि नहीं देने में त्रुटि की है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी के मामले में (2017) 16 एससीसी 680 में रिपोर्ट किया था और अन्य पारंपरिक मदों के तहत दिये गये क्षतिपूर्ति की राशि भी कम है और क्षतिपूर्ति में उचित वृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं।

8. उत्तरवादी संख्या 3–बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलकर्ताओं–दावाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुतीकरण का पुरजोर विरोध किया और प्रस्तुत किया कि दावाकर्ता द्वारा अपने दावे के समर्थन में आपराधिक मामले के दस्तावेज दायर किए गए हैं, जिन पर दावा न्यायाधिकरण द्वारा सही ढंग से विचार किया गया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य की सराहना करने पर यह निष्कर्ष निकला है कि मृतक भी 50% की सीमा तक लापरवाही में भागीदार था और तदनुसार, इस प्रकार गणना किये गये क्षतिपूर्ति की 50% राशि की कटौती करते हुए आक्षेपित अधिनिर्णय पारित किया गया था।उन्होंने प्रस्तुत किया कि दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया क्षतिपूर्ति न्यायसंगत और उचित है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख का भी अवलोकन किया है।

10. दावा न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ताओं द्वारा दायर दावा आवेदन को स्वीकार करते हुए, दावाकर्ता ने कुल ₹ 6,19,996/– का क्षतिपूर्ति गणना किया और मृतक की सहभागी लापरवाही के लिए 50% की कटौती करने के बाद, दावाकर्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ 3,09,998/– प्रदान किया।अधिनिर्णय की राशि का भुगतान करने का दायित्व अनावेदक संख्या 3–बीमा कंपनी पर डाला गया है।न तो बीमा कंपनी और न ही दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के चालक और मालिक ने आक्षेपित अधिनिर्णय को चुनौती दी है।

11. सहभागी लापरवाही के आधार पर संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों की सराहना करने के लिए, मैंने दावा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया है।दुर्घटना दिनांक 14.02.2009 को लगभग 22:00 बजे हुई थी, दुर्घटना की रिपोर्ट उसी दिन लगभग 23:25 बजे दर्ज की गई थी।रिपोर्ट पुलिस विभाग के कर्मचारी एच.आर. रात्रे द्वारा दर्ज की गई थी।एफ.आई.आर. में उल्लेख किया गया है कि ट्रक क्रमांक CG04-G-4291 का चालक अपना वाहन सड़क पर खड़ा करके कहीं चला गया, उसकी तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिला और पुलिस ने ट्रक को मौके पर ही जब्त कर लिया।दावा आवेदन में,दावाकर्ता ने तर्क दिया है कि ट्रक रात में

बिना किसी संकेत या जलते हुए संकेतक के लापरवाही से सड़क पर खड़ा किया गया था। मृतक अपनी मोटरसाइकिल चलाते समय लापरवाही से सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गया।

12. अनावेदक संख्या 3–बीमा कंपनी ने दावा आवेदन पर जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें चोट की प्रकृति और क्षतिपूर्ति की गणना के संबंध में किये गये तर्क को खारिज कर दिया गया।यह भी तर्क दिया गया है कि दुर्घटना मृतक की स्वयं की लापरवाही का परिणाम थी।सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त वाहन की पार्किंग के संबंध में किया गये तर्क को स्पष्ट रूप से खारिज नहीं किया गया है।दावा आवेदन के समर्थन में दावाकर्ता ने श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्रा को एडब्ल्यू–1, श्री पुष्पेंद्र चंद्रा को एडब्ल्यू–2 और रामसाय साहू को एडब्ल्यू–3 के रूप में परीक्षित किया है। साक्षी एडब्ल्यू–1, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा ने आदेश 18 नियम 4 सीपीसी के तहत दायर अपने मुख्य साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि दुर्घटनाग्रस्त ट्रक बिना संकेतक जलाए या सड़क पर कोई संकेत लगाए लापरवाही से सड़क पर खड़ा था।सड़क एक राष्ट्रीय राजमार्ग है।प्रतिपरीक्षा में, मुख्य साक्ष्य में दिया गया बयान अडिग रहा। एडब्ल्यू––2, पुष्पेंद्र चंद्रा ने भी ऐसा ही बयान दिया।यह साक्षी दुर्घटना स्थल के पास सड़क किनारे एक ढाबा चलाता है।इस साक्षी ने यह भी कहा कि ट्रक को रात में लगभग 10 बजे रिफ्लेक्टर या इंडिकेटर जलाकर कोई एहतियाती कदम उठाए बिना सड़क पर खड़ा कर दिया गया था।इस साक्षी ने बीमा कंपनी के अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस सुझाव का खंडन किया कि ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था।ए. डब्ल्यू.–3, रामसे का भी यही कथन है।इस साक्षी ने इस बात से भी इनकार किया कि ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था और आगे स्पष्ट किया कि ट्रक सड़क के बीच में खड़ा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. उपर्युक्त साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्घटना के समय रात लगभग 10:00 बजे दुर्घटनाग्रस्त ट्रक बिना किसी चेतावनी और संकेतक लाइट के सड़क पर खड़ा था।अनावेदक, मालिक, चालक या बीमा कंपनी ने मृतक की ओर से सहभागी लापरवाही के तथ्य को साबित करने के लिए किसी साक्षी की जांच नहीं की है। अनावेदक संख्या 1 और 2, दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के मालिक और चालक अनुपस्थित रहे और उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

14. आदेश–पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि अनावेदक संख्या 3–बीमा कंपनी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कई अवसर दिए गए थे, तथापि, जब अनावेदक संख्या 3 साक्षी प्रस्तुत नहीं कर सका, तो बीमा कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता ने बयान दिया कि वह किसी भी साक्षी से पूछताछ नहीं करना चाहता है और तदनुसार अनावेदक संख्या 3 के साक्षी से पूछताछ करने का अवसर समाप्त कर दिया गया।दावा न्यायाधिकरण ने दाण्डिक मामले के अन्वेषण के दौरान पुलिस द्वारा दर्ज किए गए साक्षी के बयान और सीआरपीसी की धारा 161 के तहत पुलिस द्वारा दर्ज किए गए पुष्पेंद्र चंद्रा, एडब्ल्यू–2 और रामसे, एडब्ल्यू–3 के बयानों पर विचार करते हुए, आक्षेपित निर्णय पारित किया, जिसे दावेदारों द्वारा एक्स पी–8 के रूप में प्रस्तुत किया गया था।न्यायाधिकरण ने अन्वेषण के दौरान पुलिस द्वारा तैयार किए गए घटनास्थल के नक्शे और आरोपपत्र की प्रति पर भी ध्यान दिया है, जिसमें दिखाया गया है कि दुर्घटनाग्रस्त ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था। उपर्युक्त सामग्री के आधार पर, दावा न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि मोटरसाइकिल

चालक की सहभागी लापरवाही थी।न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय के कंडिका–20 में आगे कहा है कि दुर्घटनाग्रस्त ट्रक सड़क पर इस प्रकार खड़ा था कि वह यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहा था। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान तैयार किए गए दाण्डिक प्रकरण के दस्तावेज़ों को ठोस साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, इनका उपयोग केवल तथ्यों की पुष्टि या खंडन के लिए किया जा सकता है।

15. इस मामले में, बीमा कंपनी ने अन्वेषण अधिकारी या अन्वेषण में भाग लेने वाले किसी भी पुलिस अधिकारी से पूछताछ नहीं की है।अन्वेषण के दौरान पुलिस द्वारा सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयान का तब तक साक्ष्य के रूप में कोई महत्व नहीं है जब तक कि न्यायालय के समक्ष परीक्षित साक्षी अन्वेषण के दौरान पुलिस को दिए गए ऐसे बयान को स्वीकार नहीं कर लेते।विधि का यह सुस्थापित प्रस्ताव है कि किसी दाण्डिक प्रकरण में दर्ज साक्ष्य और उसमें प्राप्त निष्कर्षों का दावा मामले में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि केवल अन्य साक्ष्यों की समीक्षा के लिए ही उन पर विचार किया जा सकता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने नन्हू सिंह बनाम जहीर के मामले में 2006 एसीजे 803 में इस विवाद्यक पर विचार करते हुए रिपोर्ट दी कि क्या दाण्डिक प्रकरण के दस्तावेज केवल प्रस्तुत किए जाने पर ही साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होंगे और इस प्रकार निर्णय दिया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"12. उपरोक्त के तहत, हम इस अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि न्यायाधिकरण द्वारा प्राथमिकी के आधार पर दर्ज किया गया निष्कर्षत्रुटिपूर्ण है , असंतुलित है और एक तरह से कलंक का मार्ग प्रशस्त करता है। न्यायाधिकरण ने प्राथमिकी पर भरोसा करके त्रुटि की है मानो वह सर्वथा सत्य हो या दूसरे शब्दों में कहें तो मानो वहआइंस्टीन के सिद्धांत के समान हो।उपरोक्त के तहत, हम उपरोक्त निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं और तदनुसार इसे खारिज करते हैं।"

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम चामुंडेश्वरी एवं अन्य के मामले में (2021) 18 एससीसी 596** में रिपोर्ट किए गए मामले में, न्यायाधिकरण के समक्ष साक्ष्य में एफआईआर की सामग्री की स्वीकार्यता के संबंध में विवाद्यक पर विचार करते हुए, यह टिप्पणी की है कि न्यायाधिकरण के समक्ष दर्ज साक्ष्य को एफआईआर की सामग्री पर महत्व दिया जाना चाहिए और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:––

"8. . अ.सा. 1 और . अ.सा. 3 के अभिलेखों में उपलब्ध साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि कार के आगे चल रही आयशर वैन ने बिना कोई संकेत या संकेतक दिए अचानक दाहिनी ओर मोड़ लिया था। अ.सा. 1 और . अ.सा. 3 के साक्ष्य स्पष्ट हैं और आयशर वैन के चालक से पूछताछ करके किसी खंडनात्मक साक्ष्य के अभाव में, उच्च न्यायालय ने सही ही माना है कि दुर्घटना केवल आयशर वैन के चालक की लापरवाही के कारण हुई थी।यह ध्यान देने योग्य है कि अ.सा. 1 स्वयं उसी कार में यात्रा कर रही थी और अ.सा. 3, जिसने पुलिस के समक्ष बयान दिया है, से प्रत्यक्षदर्शी के रूप में पूछताछ की गई थी।अभिलेख पर मौजूद ऐसे साक्ष्यों को देखते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय–वस्तु को महत्व देने का कोई कारण नहीं है।यदि

न्यायाधिकरण के समक्ष कोई साक्ष्य प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय–वस्तु के विपरीत है, तो न्यायाधिकरण के समक्ष दर्ज साक्ष्य को प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय–वस्तु पर महत्व दिया जाना चाहिए।

17. मामले के उपर्युक्त तथ्यों से, जहां दावा न्यायाधिकरण के समक्ष अनावेदकों ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, तथा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ के उपर्युक्त निर्णय से, इस न्यायालय की राय में, दावा न्यायाधिकरण ने दावा मामले के निर्णय के लिए आपराधिक मामले के दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने में त्रुटि की है।सहभागी लापरवाही एक पक्ष द्वारा अभिवचनित तथ्य है और इसे अभिवचनित करने वाले पक्ष द्वारा कानून के अनुसार सिद्ध किया जाना है।

18. वर्तमान मामले में, अनावेदक संख्या 3–बीमा कंपनी ने दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दायर अपने उत्तर में मृतक की सहभागी लापरवाही का अभिवचन लिया है, तथापि, दावा न्यायाधिकरण के समक्ष अनावेदक संख्या 3 ने अपने बचाव में की गई उक्त अभिवचन के समर्थन में किसी गवाह का परीक्षण नहीं किया है।सहभागी लापरवाही एक ऐसा तथ्य है जिसे विधि के अनुसार सिद्ध करना आवश्यक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि दावा न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत स्थल मानचित्र ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त नहीं होगा और सहभागी लापरवाही के विवाद्यक पर निर्णय दे सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जीजू कुरुविला एवं अन्य बनाम कुंजुजम्मा मोहन एवं अन्य (2013) 9 एससीसी 166 में दर्ज मामले में यह निर्णय दिया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

" 20.5 दुर्घटना के बाद वाहनों की मात्र स्थिति, जैसा कि दृश्य महाज़र में दिखाया गया है, किसी एक की ओर से तेज़ और लापरवाही से वाहन चलाने का ठोस सबूत नहीं दे सकती है।जब विपरीत दिशाओं से आ रहे दो वाहन टकराते हैं, तो वाहनों की स्थिति और उसकी दिशा आदि कई कारकों पर निर्भर करती है जैसे वाहनों की गति, टक्कर की तीव्रता, टक्कर का कारण, वह स्थान जहाँ एक वाहन दूसरे से टकराया आदि। दुर्घटना के दृश्य से, कोई यह सुझाव या अनुमान लगा सकता है कि दुर्घटना किस प्रकार हुई थी, लेकिन किसी प्रत्यक्ष या पुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में, इस बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि चालक की ओर से लापरवाही थी या नहीं।ऐसे प्रत्यक्ष या पुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में न्यायालय किसी भी व्यक्ति की ओर से लापरवाही के बारे में कोई विशिष्ट निष्कर्ष नहीं दे सकता है।"

19. सर्वोच्च न्यायालय का एक अन्य निर्णय, **मीनू राउत एवं अन्य बनाम सत्य प्रद्युम्न महापात्रा एवं अन्य के मामले में सहभागी लापरवाही के मुद्दे पर विचार करते हुए (2013) 10 एससीसी 695** में रिपोर्ट किया गया और इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया:

"17. न्यायाधिकरण ने मौखिक और दस्तावेज़ी साक्ष्यों के आधार पर, मृतक के विरुद्ध दाण्डिक प्रकरण समाप्त होने के तथ्य पर विचार किए बिना, आरोप–पत्र, एक्सटेंशन 1 पर पूरी तरह भरोसा करके गलत निष्कर्ष दर्ज किया है और अपने निर्णय में यह भी कहा है कि अपीलकर्ताओं ने प्राथमिकी प्रस्तुत नहीं की थी। इसलिए, न्यायाधिकरण ने माना है कि दुर्घटना में मृतक चालक की ओर से 50% लापरवाही थी।न्यायाधिकरण को यह

देखना चाहिए था कि एफआईआर पेश न करने का कोई परिणाम नहीं है क्योंकि ट्रक चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 179 और धारा 302 तथा मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था। बीमा कंपनी ने, यद्यपि न्यायाधिकरण से मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 170(बी) के तहत अपराधी वाहन के मालिक का बचाव करके कार्यवाही लड़ने की अनुमति मांगी थी, उसने मृतक सुशील राउत की ओर से सहभागी लापरवाही के आरोप को साबित करने के लिए ट्रक चालक या किसी अन्य स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी से पूछताछ करने का विकल्प नहीं चुना, जिसके कारण दुर्घटना हुई क्योंकि वह कार को तेज और लापरवाही से चला रहा था।न्यायाधिकरण द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत खंडन साक्ष्य के अभाव में न्यायाधिकरण को आरोप–पत्र, एक्सटेंशन 1 पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, जिसमें मृतक चालक को अभियुक्त के रूप में उल्लेखित किया गया था और उसकी मृत्यु पर उसका नाम आरोप–पत्र से हटा दिया गया था।न्यायाधिकरण ने अपनी प्रतिपरीक्षा में पीडब्लू 2 और पीडब्लू 3 के साक्ष्य से प्राप्त कुछ अस्पष्ट उत्तरों का उल्लेख किया है तथा विवाद्यक 1 पर निष्कर्ष दर्ज करने के लिए उन पर भरोसा किया है।"

20. किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की लापरवाही के कारण चोट लगने पर उसे इस आधार पर लापरवाही का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है कि यदि वह अधिक सतर्क और सजग होता तो दुर्घटना से बच सकता था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय **प्रमोदकुमार रसिकभाई झावेरी बनाम कर्मासे कुंवरगी तक एवं अन्य मामले में, (2002) 6 एससीसी 455 में** रिपोर्ट किया गया है कि जहाँ एक बार लापरवाही हो जाने पर, यदि एक पक्ष दूसरे पक्ष को खतरे की स्थिति में डाल देता है, जिससे वह पक्ष स्वयं को बचाने के लिए शीघ्रता से कार्य करने को बाध्य हो जाता है, तो यह सहभागी लापरवाही नहीं मानी जाएगी यदि वह पक्ष ऐसे तरीके से कार्य करता है, जो, पीछे मुड़कर देखने पर, यह सिद्ध होता है कि कठिनाई से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. उपर्युक्त तथ्यों और ऊपर संदर्भित निर्णयों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय की राय में, दावा अधिकरण ने यह निष्कर्ष दर्ज करने में गलती की है कि मृतक की ओर से भी सहभागी लापरवाही थी, उक्त निष्कर्ष इस संबंध में किसी साक्ष्य के बिना है और मान्य योग्य नहीं है, जिसे अपास्त दिया जाता है।

22. जहां तक क्षतिपूर्ति में वृद्धि के संबंध में अपीलकर्ताओं–दावेदारों के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए आधार का संबंध है, दुर्घटना की तिथि पर मृतक की आयु 22 वर्ष थी।दुर्घटना की तिथि पर मृतक की मासिक आय दावा न्यायाधिकरण द्वारा ₹4500/– आंकी गई है।दावा न्यायाधिकरण ने भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के मद में क्षतिपूर्ति नहीं दिया है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रणय सेठी (सुप्रा)** के मामले में मृत्यु के मामले में भविष्य की संभावनाओं के लिए क्षतिपूर्ति देने के संबंध में विचार किया है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जो दावेदार स्थायी रोजगार में नहीं है और 40 वर्ष से कम आयु का है, वह मृतक की आय में 40% वृद्धि का हकदार होगा।चूँकि दुर्घटना की तिथि पर मृतक की आयु 22 वर्ष थी, इसलिए भविष्य की संभावनाओं के लिए निर्धारित आय का 40% हिस्सा होगा।तदनुसार आदेश दिया जाता है।

23. दावा न्यायाधिकरण ने संपत्ति के नुकसान और अंतिम संस्कार व्यय के लिए प्रत्येक को ₹15,000/–और मृतक के माता–पिता दावेदार संख्या 1 और 2 को प्रत्येक को ₹40,000/– का क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया उक्त क्षतिपूर्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **प्रणय सेठी (सुप्रा) और मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाम नानू राम उर्फ चुहुरु राम एवं अन्य (2018) 18 एससीसी 130 के मामले में दिए गए निर्णय के अनुरूप है।व्यक्तिगत और** जीवन–यापन व्यय के लिए 1/2 की कटौती, मामले के तथ्यों में 18 के गुणक का अनुप्रयोग भी सही ढंग से लागू किया गया है और प्रदान किया गया है। अपीलकर्ताओं–दावाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता यह इंगित करने में असमर्थ रहे कि चिकित्सा व्यय के मद में क्षतिपूर्ति के निर्धारण पर विचार नहीं किया गया है और इस संबंध में प्रस्तुत बिलों के अनुसार प्रदान नहीं किया गया है।

24. पूर्वोक्त चर्चा के लिए, अपीलकर्ताओं– दावाकर्ता को प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि की पुनः गणना की आवश्यकता है, जो निम्नानुसार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विवरण	क्षतिपूर्ति
क) आय/निर्भरता का वार्षिक नुकसान = ₹54,000/- (₹4500x12) बी) 40 प्रतिशत की दर से भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए जोड़ (₹54,000 x 140% = ₹75,600) ग) व्यक्तिगत तथा रहन–सहन के खर्चों के लिए एक तिहाई की कटौती (₹75,600 x 1/2 = ₹37,800); घ) 18 का गुणक ₹ 37,800 x 18 = ₹ 6,80,400 –	₹ 6,80,400/–
अपीलकर्ता संख्या 1 और 2 को फाइलियल कंसोर्टियम का नुकसान (प्रत्येक ₹40,000)	₹ 80,000/–
चिकित्सा खर्च	₹ 23,996/–
संपत्ति का नुकसान	₹ 15,000/–
अंतिम संस्कार का खर्च	₹ 15,000/–
कुल	₹ 8,14,396/–

25. अब अपीलकर्ता/दावेदार विद्वान दावा न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित ₹3,09,998/– के स्थान पर ₹8,14,396/– की कुल क्षतिपूर्ति राशि के हकदार होंगे।क्षतिपूर्ति राशि पर दावा आवेदन दाखिल करने की तिथि से उसकी वसूली तक 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लगेगा।अपीलार्थी–दावाकर्ता को आक्षेपित निर्णय के अनुसार भुगतान की गई कोई भी राशि ऊपर गणना किये गये क्षतिपूर्ति की राशि से समायोजित की जाएगी।आक्षेपित अधिनिर्णय की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

26. परिणामस्वरूप, आंशिक रूप से अपील को स्वीकृति दी जाती है तथा आक्षेपित अधिनिर्णय को उस सीमा तक संशोधित किया जाता है जैसा कि ऊपर बताया गया है।

सही/–
(पार्थ प्रतिम साहू)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य*

प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur